राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1735/2008/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता,उदयपुर सम्भाग,(राज.) अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गुरूनानक ट्रांसपोर्ट कम्पनी
साकीनामा, मुम्बई प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
—— प्रत्यर्थी की ओर से ओर से कोई भी उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 13.04.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त(अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 46/आरएसटी/एनआरडी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) एवं (12) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम, 2006 (जिसे आगे वैट नियम कहका जायेगा) के नियम 56 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 02.05.2007 के द्वारा आरोपित शास्ति रू. 3,71,100/– एवं कर रू. 50,328/– को यथावत रखा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.3007 को वाहन संख्या एचआर 38–एफ/7127 को अटलान्टा टोलनाका, गोवर्धन विलास, उदयपुर के पास चेक किया गया। वक्त जांच परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। वाहन चालक/माल प्रभारी के बयानों के अनुसार उसके द्वारा ओढत, अहमदाबाद से भरा जाना जाहिर किया गया है एवं वाहन मुम्बई गया ही नहीं जबकि बिल्टी ओढत, गुजरात से मुम्बई की गई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी को सन्देह होने पर वाहन चालक/माल प्रभारी को माल के प्रेषक एवं प्रेषिति के पंजीयन क्रमांकों के सत्यापन के साथ साथ माल के भौतिक सत्यापन कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्टरनेट पर उपलब्ध वेबसाईट से प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित माल के प्रेषक एवं प्रेषिति व्यवसाईयों के पंजीयन क्रमांकों की जानकारी करने पर माल के प्रेषक एवं प्रेषिति दोनों ही फर्मे अस्तित्व में नहीं पाई गई। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन में लदे माल का नियमानुसार भौतिक सत्यापन कियागया

तो बिल व बिल्टी में दर्शाये माल से भिन्न माल वाहन में मौजूद पाया गया, जिससे अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अधिनियम की धारा 76 (6) व (12) के अन्तर्गत विस्तृत नोटिस जारी किया गया। नियत तिथि के पश्चात दिनांक 17.04.3007 को ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मैनेजर कुलदीप सिंह ने निवेदन किया कि परिवहनित माल से सम्बन्धित कोई बिल व बिल्टी उनके पास नहीं है अतः विवादित माल उतार कर माल की रसीद ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मैनेजर को दी गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः ट्रांसपोर्ट कम्पनी को नोटिस जारी किया गया, नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को सन्तोषजनक नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,71,100/– एवं कर रू. 50,328/–कुल रू. 4,21,428/–की मांग कायम कर कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.05.2007 पारित किया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर परिवहनित किये गये माल पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आकर्षित होना नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त कर अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2008 पारित किया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि वक्त जांच पाया गया परिवहनित माल बोगस दस्तावेजों के साथ परिवहनित किया जा रहा था, इसलिए अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया था, किन्तु विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त किया है, जो अविधिक है । उनका कथन है प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गन्तब्य मुम्बई है जबकि माल का लदान अहमदाबाद से किया गया है। उनका यह भी कथन है कि दस्तावेजों में माल पोलीथीन दर्शाया है जबकि भौतिक सत्यापन पर माल दस्तावेजों से भिन्न पाया गया है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त किया है, जो प्रकरण के तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी को जरिए प्रकाशन तारीख पेशी की सूचना दी गई थी किन्तु उसकी ओर से कोई भी सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात एकतरफा सुनवाई कर निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल से सम्बन्धित चालान संख्या 727दिनांक 20.02.2007 मैसर्स गुरूनानक ट्रांसपोर्ट कम्पनी,साकीनाका, मुम्बई का प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 300 नग वजन 15000किलोग्राम पोलीथीन पाउडर के दर्शाये गये है किन्तु भौतिक सत्यापन करने पर उसमें उक्त माल की जगह एस.एस.युटैनसील, गैस स्टोव पार्ट्स,ओटो पार्ट्स, गैस रेगुलेटर एवं दीपक अग्ररबत्ती स्टैण्ड पाये गये हैं। इस प्रकार की विसंगतियॉ पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जवाब में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अघोषित एवं बिना बिल, बिल्टी व चालान के परिवहनित माल की बाजार भाव से कीमत आंकी जाकर कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। उक्त निष्कर्ष प्रकरण के तथ्यों के आधार पर उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल द्वारा डायमण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर के प्रकरण में मत प्रतिपादित किया है कि कोई माल राज्य के बाहर से कर चोरी करते हुए राज्य के भीतर होकर राज्य के बाहर जा रहा है तो उसे कर चोरी की छूट नहीं दी जा सकती है। अतः आरोपित शास्ति एवं कर न्यायोचित है। माल के दस्तावेज बोगस प्रमाणित किए गए हैं अतः आरोपित शास्ति व कर नियमानुसार सही है।

हस्तगत प्रकरण में वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में अंकित माल से भिन्न माल पाया गया है, जिससे कर चोरी प्रमाणित होती है। ऐसे प्रकरण में माननीय राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल द्वारा डायमण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर के प्रकरण में प्रतिपादित किया गया मत पूर्णतः लागू होता है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त किया है, जिसे माननीय राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल के उपरोक्त उद्धरित निर्णय के प्रकाश में अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य